उनको उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिये जाने की प्रणाली अपनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उच्च अध्ययन के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति की मौजूदा योजना के स्थान पर ऐसे छात्रों को ऋण देने की योजना प्रतिस्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शिक्षा पर वार्षिक-व्यय

1293. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा पर किए जाने वाले कुल वार्षिक-व्यय का एक बड़ा हिस्सा उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शिक्षा पर कुल कितना धन व्यय किया गया है और उसमें से कितना धन उच्च शिक्षा पर खर्च किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार परिनियत संकल्प को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए भविष्य में उपरोक्त व्यय के अनुपात में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) उच्चतर शिक्षा पर होने वाला व्यय वर्ष 1989-90 में सामान्य और तकनीकी शिक्षा के संशोधित प्राक्कलनों का 24.1 प्रतिशत होता है ।

(ख) वर्ष 1987-88 में सामान्य और तकनीकी शिक्षा पर 1205.25 करोड़ रु० व्यय हुआ था जिसमें से 335.58 करोड़ रुपये उच्चतर शिक्षा पर खर्च किए गए थे । वर्ष 1988-89 के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश: 1598.63 करोड़ रुपये और 346.16 करोड़ रु० थे । वर्ष 1989-90 के लिए तदनुरूपी संशोधित प्राक्कलन 1522.08 करोड़ रुपए और 367.27 करोड़ रुपए थे ।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को उच्च प्राथमिकता दी गई है । प्रारंभिक शिक्षा पर केन्द्रीय सरकार का परिव्यय जो 1986-87 (वास्तविक) 33.15 करोड़ रुपए था से बढ़कर वर्ष 1989-90 (संशोधित प्राक्कलन) में 212.10 करोड़ रुपए हो गया है ।

संस्थाओं द्वारा सरकारी अनुदान का समुचित उपयोग किया जाना

1294. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संबंध में अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं को इस संबंध में सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है किन्तु वे उसका ठीक से उपयोग नहीं कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध जांच करने के

लिए हाल ही में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर हैं तथा सरकार ने सही संस्थाओं का चयन करने तथा उनके द्वारा किए गए काम का समुचित और सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) वर्ष 1988–89 से 1990–91 की अवधि के दौरान 61 स्वयंसेवी एजेंसियों के विरुद्ध सहायता अनुदान के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1987–88 से आज तक 646 स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए जारी किए गए अनुदान को अनुमोदित कर दिया है । उपरोक्त (क) में उल्लिखित एजेंसियों के सिवाय किसी और एजेंसी के विरुद्ध निधियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) और (घ) उन स्वयंसेवी एजेंसियों, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, के नाम पते व की गयी कार्रवाई के ब्यौरों से संबंधित विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 156, अनुपत्र सं. 32]

स्वयंसेवी एजेंसियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित योजना में सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदण्डों को विस्तार में निर्धारित किया गया है । योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार पात्र स्वयंसेवी एजेंसियों के आवेदनों की विचारार्थ, सिफारिश का सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सीधे मदद प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों का भी पता लगा सकती है ।

हमने सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों से, स्वयंसेवी एजेंसियों की परियोजनाओं की देखरेख करने अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, वहां कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया है । जब कभी मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तब भारत सरकार संयुक्त मूल्यांकन दलों का गठन कर देती है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों के एक–एक प्रतिनिधि व एक बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं । इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है ।

जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, वैसे ही राज्य सरकार के माध्यम से या संयुक्त मूल्यांकन दल का गठन करके शिकायतें की तत्काल जांच-पड़ताल शुरू कर दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर, आगे की आवश्यकता कार्रवाई शुरू की जाती है ।

Improvement in the conditions of Mental Hospital Sahadara

1295. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any representation was given to him by the Staff Union of Mental Hospital, Shahdara, Delhi when we visited the hospital on 20th December, 1990;

(b) if so, what are the main points contained therein; and

(c) what steps have been taken tc meet their demands and to provide better facilities to the patients?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (PROF SHAKEELUR REHMAN!: (a) to (c) The mater Is being looked into in consultation with the Delhi Administration.